कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :– 85–राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून☎ 0135–2740391 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश संख्या 41 /1–9(HRD) देहरादून दिनांक, 22 नवम्बर, 2021.

पदोन्नति आदेश

इस कार्यालय की पत्र संख्या 178/1–12(6) दिनांक 28.07.2021 द्वारा वन दरोगा से उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.08.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वन दरोगा वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 रू0 29200–92300 के कार्मिकों की उप वन क्षेत्राधिकारी के वेतन मैट्रिक्स लेवल–6 रू0 35,400–1,12,400 में कॉलम संख्या–05 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है :–

क्र0 सं0	दि0 01.07.2021 के आधार पर निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	वन दरोगा का नाम	वृत्त का नाम	पदोन्नति जिस तिथि से प्रभावी होगी।
1	2	3	4	5
1	31	श्री कैलाश चन्द्र	उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।	तत्काल
2	33	श्री हुकम सिंह	भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।	तत्काल
3	36	श्री चन्द्रमोहन	शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।	तत्काल
4	37	श्री अनुप कण्डारी	शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।	तत्काल
5	38	श्री पुष्कर सिंह बोहरा	उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।	तत्काल
6	39	श्री हर सिंह मेवाड़ी	पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।	01 दिसम्बर, 2021
7	40	श्री सुधीर कुमार भट्ट	यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून	01 दिसम्बर, 2021
8	41	श्री किशोर लाल भट्ट	अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, देहरादून	01 दिसम्बर, 2021
9	42	श्री गिरीशचन्द्र गोदियाल	गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी	01 दिसम्बर, 2021
10	43	श्री मदनमोहन मैठाणी	यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून	01 दिसम्बर, 2021
11	44	श्री गंगा सिंह	गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी	01 दिसम्बर, 2021
12	45	श्री सतीश चन्द्र पोखरीयाल	शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।	01 दिसम्बर, 2021
13	46	श्री चन्द्रशेखर भट्ट	शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।	01 दिसम्बर, 2021

उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में तैनात वृत्त के अधीन तैनाती वन प्रभाग/कार्यालय में ही अपना योगदान तत्काल प्रभाव से देना सुनिश्चित करें। पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः

उक्त कार्मिक के योगदान देने के फलस्वरुप किसी वन प्रभाग में आवंटित उप वन क्षेत्राधिकारियों के पद से अधिक कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित वन संरक्षक द्वारा वृत्त में आवंटित उप वन क्षेत्राधिकारियों के पदों के सापेक्ष उक्त अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती/समायोजन किया जायगा। इसी प्रकार वृत्त में आवंटित पदों से अधिक कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने मण्डल के अंतर्गत पदों पर तैनाती/समायोजन किया जाएगा। यदि इसके बावजूद आवंटित पदों से अधिक पदों पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में कार्मिकों के अंतरमण्डलीय समायोजन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित की जाय। उप वन क्षेत्राधिकारियों के आवंटित पदों पर समायोजन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रोन्नत उप वन क्षेत्राधिकारियों का राज्य में उप वन क्षेत्राधिकारियों के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष सबन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रोन्नत वेतन आहरित किया जायगा।

उपरोक्त कार्मिक की पदोन्नति पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 923 (1) / 1–12(6) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. आदेश में अंकित सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय।
5. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।
7. आई0टी0 प्रकोष्ठ, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

ITC
अपलोड करें